कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

सोमवार, 12 फाल्गुन, शक संवत् 1946
(03 मार्च, 2025 ई0)

खण्ड-528
अंक-08

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-07 के अनुपूरक प्रश्न पर डॉ0 रागिनी ने उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) पर पूरे सत्रकाल में नेता विरोधी दल, पूर्व मुख्य मंत्री एवं विपक्ष के सदस्यों के प्रति अनादर का भाव एवं महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होते हुये भी गम्भीरता प्रदर्शित न करने का आक्षेप लगाते हुये सदन का बहिर्गमन किया गया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि यह तरीका ठीक नहीं है। अगर बहिष्कार करना था तो पहले ही किया जा सकता था। उन्होंने इसे कार्यवाही से निकलवाये जाने का अनुरोध किया।

आज निम्नलिखित मा0 सदस्यों को उनके जन्मदिन पर सदन की ओर से बधाई दी गयी :-

1-श्री अजय सिंह,

2-श्री नन्दकिशोर,

3-श्री आशुतोष मौर्य उर्फ राजू,

4-श्री रामवीर सिंह।

तदुपरान्त श्री अतुल प्रधान द्वारा व्यक्तिगत प्रकरण का उल्लेख करते हुये कहा कि आज सुबह लखनऊ मेल से विधान सभा की कार्यवाही में प्रतिभाग करने लखनऊ आ रहे थे, ट्रेन से उनका बैग चोरी हो गया, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। उन्होंने वी0आई0पी0/महत्वपूर्ण ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था का प्रकरण उठाते हुये संसदीय कार्य मंत्री से इसका संज्ञान लिये जाने का अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि चोरी की रिपोर्ट पुलिस लिखती है। यहां उसका समाधान नहीं हो सकता।

आज दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 70 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री सीताराम वर्मा	जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ में कतिपय स्थान पर स्थायी पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
2	श्री राम सिंह पटेल	जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी में कतिपय स्थान पर इण्टरलॉकिंग रोड के निर्माण के सम्बन्ध में।
3	श्री हाकिम लाल बिन्द	जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हंडिया के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
4	श्री अजय	जनपद गोण्डा के करनैलगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परसपुर बाईपास का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।
5	श्री पल्टूराम	जनपद बलरामपुर में नये पॉलीटेक्निक भवन में पढ़ाई शुरू किये जाने के सम्बन्ध में।
6	डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा में मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
7	इंजी0 बृजेश कठेरिया	जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किशनी के अन्तर्गत थाने के निर्माण के सम्बन्ध में।
8	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह	जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डलमऊ ब्लाक के अस्पताल में अल्ट्रासाउण्ड मशीन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
9	श्री मनोज कुमार पाण्डेय	जनपद रायबरेली के ऊंचाहार में कतिपय पुल को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री रामकृष्ण भार्गव	विधान सभा क्षेत्र मिश्रिख के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण के सम्बन्ध में।
11	श्रीमती जय देवी	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर के अन्तर्गत कतिपय स्थान पर नाली व सीवर का निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
12	श्री राकेश कुमार गोस्वामी	जनपद लखनऊ के सरोजनीनगर में कतिपय मार्ग पर विद्युतीकरण के सम्बन्ध में।
13	श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी	जनपद एटा के काटीपी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
14	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट में कतिपय बाईपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
15	डॉ0 रागिनी	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
16	श्री मुकेश चौधरी	जनपद सहारनपुर के नकुड़ में कतिपय मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में।
17	श्री कमाल अख्तर	जनपद मुरादाबाद के पासी जाति के लोगों के जाति प्रमाण-पत्र बनने में आ रही समस्या के सम्बन्ध में।
18	श्री सुरेन्द्र मैथानी	जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर में नालों को ढकने के कार्य के सम्बन्ध में।
19	श्री संदीप सिंह	जनपद प्रयागराज के तहसील मेजा में चक मार्ग संख्या 628 से अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में।
20	मो0 ताहिर खान	जनपद सुल्तानपुर के ब्लॉक बल्दीराय के इसौली में गर्ल्स डिग्री कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्रीमती मिथलेश पाल	जनपद मुजफ्फरनगर के विधानसभा क्षेत्र मीरपुर अंतर्गत पानीपत खटीला मार्ग ग्राम कैलापुर जसमोर चौराहे पर अण्डरपास बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
22	श्री विवेकानन्द पाण्डेय	जनपद कुशीनगर के खड्डा में नौरंगिया को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री संजय शर्मा	जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर में निर्माणाधीन कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय तक जाने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य सुश्री वृज सिंह उर्फ वृजकुंवरि के निधन पर सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गयी।

श्री अध्यक्ष ने सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुये कहा कि सदन में व्यक्त की गयी संवेदनाओं को शोक-संतप्त परिवार को पहुंचा दिया जायेगा।

दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।

तदुपरान्त श्री इकबाल महमूद एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री मयंकेश्वर शरण सिंह) ने श्री अध्यक्ष को कतिपय भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी एवं सदन में उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कराये जाने हेतु अनुरोध किया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना 01 सप्ताह के भीतर विधान सभा सचिवालय में उपलब्ध हो जानी चाहिये। उन्होंने निधन की सूचना समय से प्राप्त न होने की स्थिति में जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए स्पष्टीकरण लेने व दोनों भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना को इसी सदन में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय लोक आयुक्त के विशेष प्रतिवेदन संख्या-03-2014 (लो0आ0) दिनांक 01 अगस्त, 2014 को स्पष्टीकरण ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का अष्टम् प्रतिवेदन, जो गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया की क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का नवम् प्रतिवेदन, जो गोरखपुर मण्डल के जनपद गोरखपुर व महराजगंज की क्षेत्र पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का दसवां प्रतिवेदन, जो बरेली मण्डल के जनपद बदायूँ, बरेली व पीलीभीत की ग्राम व जिला पंचायतों से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, पंचायती राज समिति ने उत्तर प्रदेश अट्ठारहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति (2024-2025) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, जो बरेली मण्डल के जनपद बरेली की क्षेत्र पंचायत क्यारा से सम्बन्धित ऑडिट आपत्तियों पर आधारित है, को प्रस्तुत किया।

श्रीमती पूजा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के अन्तर्गत खरिहानी बेलनाडीह मुख्य मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नागेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड रेवती अन्तर्गत दतहां दिमागी से पी0एम0जी0एस0वाई0 मार्ग रेखहां नूरपुर तक पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवास यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरोज कुरील, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के ग्राम सरदे गोपालपुर से शीतलपुर गांव तक (ल0 1.5 किमी0) मार्ग का निर्माण एवं उसी मार्ग पर स्थित नरवा के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली के विकास खण्ड शामली के गांव भाजू में श्मशान के पास से ग्राम मुण्डभर जाने वाले मार्ग (ल0 500 मी0) का पी0सी0 (लेपन) कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बोबी प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजपाल सिंह बालियान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र बुढ़ाना के विकास खण्ड बुढ़ाना के ग्राम गढमलपुर सागड़ी से गांव खरड़ लिंक मार्ग खड़न्जा मार्ग (1.5 किमी0) का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री प्रदीप कुमार यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र दिवियापुर के विकास खण्ड भाग्यनगर में फफूद राजबहा की पटरी से अछल्दा रोड तक (दूरी लगभग 3.00 किमी0) का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश भारती व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अताउर रहमान, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र-118, बहेड़ी के अन्तर्गत डंडहिया नगला से होते हुए कस्बा रिच्छा रोड से ग्राम खिरना तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जाफर खां व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र-02, नकुड़ के विकास खण्ड सरसावा के प्रा0वि0 संगमौर के ऊपर से हाईटेंशन विद्युत लाइन को अन्यत्र स्थानान्तरित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पहल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत ग्राम पारा से रवनियां के बीच दोनों तरफ लगभग 800 मीटर सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रम्हा यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती मिथलेश पाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर के विकास खण्ड जानसठ के ग्राम लालपुर रहडवा के श्री तिलकराम के घर से श्री ब्रिज के घर तक (ल0 लगभग 250 मी0) क्षतिग्रस्त मार्ग का नव निर्माण/मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तिलक राम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा में यमुना तट मऊ भैरों मंदिर पर तथा बल्केश्वर मंदिर के यमुना तट पर प्राचीन यमुना घाटों का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव टाटा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के ब्लाक व तहसील हसनगंज में फरहदपुर से जैतीपुर सम्पर्क मार्ग व अन्य कतिपय मार्गों का चौड़ीकरण व पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र-306, डुमरियागंज के अन्तर्गत शाहपुर सिगारजोत मुख्य मार्ग पर सिरसिया पावर स्टेशन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहीर अहमद मलिक व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री रमापति शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड नबाबगंज के ग्राम पंचायत खेमपुर में लोक निर्माण विभाग का जर्जर डाक बंगला का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद फतेहपुर के ब्लाक-मलवां के ग्राम सभा बनियन खेड़ा से शाहजहाँपुर तक सम्पर्क मार्ग (03 किमी0) को पिच करवाने के सम्बन्ध में श्री आशीष पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री निर्मल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील बिसवाँ में ग्राम जमलापुर से परसिया होते हुए न्यामुपुर नहर पुल तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

डा0 सुनील पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र-387, रोहनियां के अन्तर्गत इण्टरलॉकिंग सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में डॉ0 वसंत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री दुधराम, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र-311, महादेवा विकास खण्ड बस्ती सदर के अन्तर्गत पाकरडाड़ सम्पर्क मार्ग से खदरा सम्पर्क मार्ग के बीच सम्पर्क मार्ग तक 1.5 किमी0 नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूरज चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के वार्ड संख्या-02 इब्राहिमपुर सेक्टर-1 बी में रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'', सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र-209, बिल्हौर की ग्राम पंचायत कुकरादेव बिठूर में शिवपाल के घर से घनश्याम शाक्य के घर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुई।

श्री वीरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महराजगंज के विकास खण्ड फरेन्दा के ग्राम सभा कोल्हुई को नगर पंचायत के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद महराजगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री तुफानी सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के नगर निगम, लखनऊ के अन्तर्गत नबीउल्लाह रोड स्थित एस0एस0पी0 ऑफिस के पीछे जवाहर नगर वजीरगंज वार्ड में नगर निगम की खाली पड़ी जमीन पर पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जान मोहम्मद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत तहसील व विकास खण्ड महाराजगंज में तिलेण्डा हलोर मार्ग पूरे गुलाब सिंह के पास से राजापुर गाँव तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदर्श भारती व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के ग्राम पुरा में यज्ञ वेदी व कुआं से बब्बू परिहार के घर तक लगभग 500 मी0 तक आर0सी0सी0/इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री अनिल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र पुरवा के विकास खण्ड हिलौली के अन्तर्गत ग्राम सुबसखेड़ा, पश्चिमखेड़ा, पश्चिमगाँव, बिसारा व अन्य कतिपय ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बृजेश शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री संजय शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के गहना गोवर्धनपुर में 50 शैय्या के आयुष अस्पताल को बुलन्दशहर-अनूपशहर राजमार्ग से जोड़े जाने के लिये 800 मीटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, बिधूना के अन्तर्गत ग्राम घसा का पुरवा, बिझाई एवं करौधा को कंचौसी मुख्य पी0डब्ल्यू0डी0 मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री ब्रजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका व्यपगत हुई।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद बस्ती के ब्लाक साउघाट के अन्तर्गत ग्राम रानीपुर में नाऊटोला से रानीपुर सीमा तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नूरुल हसन व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद लखनऊ के अन्तर्गत वृन्दावन कालोनी के सेक्टर-6 के में पार्क नं0 5 के पास से लेकर मकान संख्या-748 तक सड़क (लम्बाई 250 मी0) का निर्माण कराये जाने तथा मकान संख्या-748 के पास ही स्थित पोल पर नई सोलर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सीता रजक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका व्यपगत हुई।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत ग्राम किरतपुर के ग्राम खटाई नहर के पुल से रसूलपुर शहाबुद्दीन (शेरपुर) तक छूटी कड़ी नहर की पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भुरे सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्रीमती सरिता भदौरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र इटावा के अन्तर्गत नेशनल हाई-वे-92 से ग्राम जुगरामऊ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर ग्राम जुगरामऊ तक लगभग 01 किमी0 और 05 मी0 चौड़ी सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहर सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री हरिओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज की तहसील पटियाली, विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत अनंगपुर मार्ग से दहेली बुजुर्ग तक सी0सी0 या इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत कसोली से कुटेशरा सम्पर्क मार्ग 3.00 किलोमीटर का सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीहपुर के ग्राम ईकारपुर से नगला बिहारी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविप्रकाश उर्फ रानू व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका व्यपगत हुई।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ, विकास खण्ड भदैया के अन्तर्गत ग्राम जमुयावा रतन नहर की पटरी से किरन सिंह के घर होते हुये जम्मूवीर बाबा के स्थान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरा को लेफ्टिनेंट कर्नल मेजर सुनील चन्द्र चौधरी के नाम से नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक जगनेर की ग्राम पंचायत रिछोहा के मजरा तुर्कपुरा में पक्का नाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भीकम सिंह कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका व्यपगत हुई।

तदुपरान्त श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने अपनी नियम-300 की सूचना लिये जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में भण्डारण नियंत्रक को ए0आर0एम0 के पद पर सम्बद्ध किये जाने का उल्लेख किये जाने पर श्री अध्यक्ष ने प्रकरण को मा0 परिवहन राज्य मंत्री को संज्ञान लिये जाने हेतु निर्देशित किया।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के कुलपति द्वारा आरक्षित पदों के पदोन्नति में किये जा रहे भेद-भाव से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए डा0 संग्राम यादव ने कहा कि विश्वविद्यालयों की कार्य परिषद् जो सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। नियमतः परिषद् में कई सदस्य विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक कुलाधिपति महोदया द्वारा नामित 3 सदस्य एवं विश्वविद्यालय के कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य होते हैं। इन सभी सदस्यों में विश्वविद्यालय कोर्ट द्वारा चुने हुए 4 सदस्य महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यह किसी की कृपादृष्टि पर नहीं बल्कि चुनकर आते हैं। लगभग 10 साल से कार्य परिषद् का चुनाव नहीं हो पा रहा है। यह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का उल्लंघन है। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा मनमानी व पक्षपातपूर्ण स्वेच्छाचारिता से विशेष शिक्षकों को लाभ देने, कुछ शिक्षकों को द्वेष भावना से प्रोन्नति न करने से व कुछ चहेते शिक्षकों को नियम विरुद्ध तरीके से प्रोन्नति व नियुक्ति करने से आरक्षित वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के पदों पर चयन से वंचित रखने का आरोप लगाते हुए कुलपतियों की नियुक्ति से ले करके विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की निष्पक्ष जाँच कराने की मांग के साथ ही विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग की।

इस पर डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने भी बल दिया।

इस पर उच्च शिक्षा मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति मा0 राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्य परिषद् का चुनाव कराये जाने के लिए शासन के द्वारा समस्त विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जा चुका है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थायें हैं, इसलिये विश्वविद्यालयों में नियुक्ति कुलपति अथवा कुलाधिपति के अन्तर्गत होती है। लखनऊ विश्वविद्यालय में शासन द्वारा सृजित पदों पर नियुक्ति चयन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक वर्ग के सदस्य नामित किये जाते हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शितापूर्ण की जाती है।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 05 मिनट पर अधिष्ठाता श्री पंकज सिंह पीठासीन हुए।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

उच्च शिक्षा मंत्री के जवाब से असन्तुष्ट होकर समाजवादी पार्टी के सदस्य (श्री पंकज कुमार मलिक को छोड़कर) सदन से बहिर्गमन कर गये।

तदुपरान्त जनपद शामली के गांव पुरमाफी में दिनांक 25-02-2025 को किसान की आत्महत्या से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना की ग्राह्यता पर विचार व्यक्त करते हुए श्री पंकज कुमार मलिक ने कहा कि कर्ज में डूबे गरीब किसान का थानाभवन शुगर मिल द्वारा भुगतान न किये जाने से वह अपनी पत्नी का इलाज तथा बेटी की स्कूल फीस भी नहीं जमा कर पा रहा था, जिससे बेटी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और मानसिक दबाव में आकर उस किसान ने आत्महत्या कर ली। इस पर उन्होंने जाँच कराकर हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।

इस पर गन्ना विकास एवं चीनी मिलें मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि मृतक किसान का वर्ष 2023-2024 का शत्-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया था, वर्ष 2024-25 का शेष 114368 रु0 का भुगतान किया जा चुका है। किसानों के बच्चों की फीस, बच्चों की शादी या बीमारी के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र आने पर तुरन्त भुगतान करने हेतु पहले से ही मिल को स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके हैं। क्षेत्रीय सूचना के अनुसार पिता-पुत्र की आपसी कहा-सुनी के कारण किसान ने खेत पर जाकर आत्महत्या की थी। इस पर श्री पंकज कुमार मलिक द्वारा पुनः जाँच का अनुरोध करने पर मा0 मंत्री ने कहा लिखकर दे दीजिए हम दिखवा लेंगे।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री अधिष्ठाता ने सदन को सूचित किया कि मा0 कृषि मंत्री के तरफ से आज मा0 सदस्यों के लिए मोटा अनाजयुक्त भोजन की व्यवस्था की गई है।

अनुसूचित जाति की सूची में गिहार जाति के 'कंजर' शब्द पर्यायवाची को विलोपित कराकर गिहार जाति का गजट कराने विषयक श्री कमाल अख्तर की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर श्री अधिष्ठाता ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।''

श्री कमाल अख्तर ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया जाय।''

श्री कमाल अख्तर ने निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

''संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।''

तदुपरान्त संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-

''संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित किया जाय।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त कृषि मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-11-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 9075,03,96,000 रुपये (नौ हजार पचहत्तर करोड़ तीन लाख छियानबे हजार रुपये) से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाये।

कृषि मंत्री के भाषण में प्रयुक्त कतिपय शब्द पर श्री महबूब अली द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए उसे असंसदीय कहे जाने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि शब्द सुनने में असंसदीय लग सकता है पर असंसदीय है नहीं, अगर वही शब्द अंग्रेजी में बोला जाता तो खराब नहीं लगता।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज चार विभागों के बजट को रखा जाना है। पहले सम्बन्धित विभाग के मंत्रीगण अपने विभाग का बजट रख लें उसके बाद उस पर कटौती आ जाए। जब चारों बजट रख लिए जाए, तो उस पर पक्ष-विपक्ष दोनों ओर के सदस्य अपने विचार रख लें।

तदुपरांत डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-11 के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

जल शक्ति मंत्री का नाम पुकारे जाने पर श्री कमाल अख्तर ने कहा कि मा0 मंत्री जी बजट रखते हैं फिर कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद उस पर बल दिया जाता है। इस पर अधिष्ठाता ने कहा कि अभी संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा था, जिसे सबने स्वीकार किया था, इसलिए अभी मा0 जल शक्ति मंत्री बोलेंगे।

तदुपरान्त समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य सरकार पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए सदन के वेल में आ गये, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य 02 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने वेल में आये समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि आप लोग बैठकर मेरी बात सुन लीजिए, फिर जैसे आप लोग कहेंगे वैसे कर लेंगे।

तदुपरान्त समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गये।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज 06 डिपार्टमेन्ट्स के ऊपर बजट रखा जाना था। जल शक्ति मंत्री जी दोनों एक साथ रखेंगे, गन्ना और लघु उद्योग। यह चार विभागों पर यह बजट रखा जाना था। दो विभाग नगर विकास के हैं और ऊर्जा इसके ऊपर आज सिर्फ प्रस्तुतिकरण है, सिंचाई और कृषि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मा0 कृषि मंत्री जी बजट रख चुके हैं।

तो यह दोनों पर एक साथ रख लीजिए और बाकी दो अलग-अलग करा देंगे। इस पर श्री कमाल अख्तर ने कहा कि जल शक्ति मंत्री जी अपना बजट रख लेंगे उसके बाद दोनों बजट होने से पहले जो कृषि पर बल देने वाले दो-तीन लोग हैं वह बोल लें, उसके बाद फिर दोनों पास करा दें। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा ठीक है, आपके इन दोनों विषयों के ऊपर समय तीस-तीस मिनट कर देते हैं।

तदुपरान्त जल शक्ति एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 14033,84,73,000 रुपये (चौदह हजार तैंतीस करोड़ चौरासी लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

जल शक्ति एवं बाढ़ नियन्त्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 7242,61,33,000 रुपये (सात हजार दो सौ बयालिस करोड़ इकसठ लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री मनोज कुमार पारस ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) व अनुदान संख्या-95-सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री संदीप सिंह,

डा0 मनोज कुमार प्रजापति,

श्री जवाहर लाल राजपूत,

श्री शिवपाल सिंह यादव।

तदुपरान्त श्री कमाल अख्तर द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह कहा गया कि नियमानुसार कटौती का प्रस्ताव विपक्ष द्वारा रखा जाता है और मा0 मंत्री जी द्वारा अपने विभाग का बजट प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अभी सत्ता पक्ष के विधायक भी कटौती के प्रस्ताव पर बोल रहे हैं।

निम्नलिखित सदस्य ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री सुरेश कुमार।

इसी मध्य सपा विधायकों के पुनः यह कहने पर कि सत्ता पक्ष नियमतः कटौती के प्रस्ताव पर नहीं बोलता है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा गया कि अनुदान मांगों पर पक्ष-विपक्ष दोनों को बोलने का मौका दिया जाता है। सदन नियम व परम्परा दोनों से चलता है।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया :-

श्री स्वामी ओऽ्मवेश,

श्री पंकज गुप्ता,

श्री अनिल प्रधान,

श्री प्रेम पाल सिंह धनगर,

श्री संग्राम सिंह,

श्री रमा शंकर सिंह,

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव,

श्री विवेकानन्द पाण्डेय,

डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा,

श्री राजेश त्रिपाठी (क्षेत्रीय भाषा-भोजपुरी)।

तदुपरान्त नेता विरोधी दल (श्री माता प्रसाद पाण्डेय) द्वारा काला नमक चावल की एम0एस0पी0 निर्धारित करने की बात कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री से कही गयी।

कृषि मंत्री के अन्तिम कथन के उपरान्त डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-11 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

तदुपरान्त जल शक्ति मंत्री के अन्तिम कथन के उपरान्त श्री मनोज कुमार पारस द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-94 एवं 95 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों की मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

(1) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23-गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 339,65,55,000 रुपये (तीन सौ उनतालीस करोड़ पैंसठ लाख पचपन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-24-गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 769,05,83,000 रुपये (सात सौ उनहत्तर करोड़ पांच लाख तिरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

इसी मध्य 04 बजकर 49 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पीठासीन हुये।

श्री अतुल प्रधान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान संख्या-23 व 24 के अधीन मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नांकित सदस्यों ने चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री अरविन्द कुमार सिंह,

श्री पंकज कुमार मलिक,

श्री अजय सिंह,

डा0 हृदय नारायण सिंह पटेल,

श्री सभाकुंवर तथा

श्री समरपाल सिंह।

गन्ना एवं चीनी मिलें मंत्री के अन्तिम कथन के उपरान्त श्री अतुल प्रधान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान सं0-23 और 24 के अधीन मांगी गयी धनराशियां पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री (श्री राकेश सचान) ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-03-उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3209,84,24,000 रुपये (तीन हजार दो सौ नौ करोड़ चौरासी लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने प्रस्ताव किया कि अनुदान सं0-03 के अधीन मांगी गयी धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

निम्नांकित सदस्यो ने भी चर्चा में प्रतिभाग किया :-

श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल,

श्री तुफानी सरोज,

डा0 विमलेश पासवान,

श्री राजेन्द्र प्रसाद,

श्रीमती गीता शास्त्री (पासी),

श्री रमेश जायसवाल,

श्री धीरेन्द्र सिंह,

श्रीमती इन्द्राणी देवी,

श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर,

मो0 ताहिर खान,

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के भाषण के उपरान्त सायं 07 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री के अन्तिम कथन के उपरान्त श्री मौहम्मद फहीम इरफान द्वारा प्रस्तुत कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा मा0 मंत्री द्वारा अनुदान संख्या-03 के अधीन मांगी गयीं धनराशि पूर्ण रूप से स्वीकृत हुईं।

श्री अध्यक्ष द्वारा मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से रमजान चलने के कारण नियम-51 लेने की बात कही गयी। इस पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा हामी भरने के उपरान्त नियम-51 लिया गया।

आज दिनांक 03 मार्च, 2025 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 95 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से ग्राह्यता के आधार पर निम्नलिखित मा0 सदस्यों की समस्त सूचनाएं ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गयी :-

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
1	श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य	विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ के वि0ख0 मंगरौरा का नाम परिवर्तित कर कोंहडौर कराये जाने के सम्बन्ध में।
2	श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल	जनपद आगरा के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आपातकाल के दौरान राजनैतिक बन्दियों को जो 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक मीसा/डीआईआर में जेल में निरुद्ध रहे हों, उनकी पत्नी को लोकतन्त्र सेनानी की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
3	श्री सीताराम वर्मा	विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत हनुमानगंज बिकवाजीतपुर मोड़ से हनुमानगढ़ी भभटा होते हुए बाबूगंज चौराहे तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
4	श्री रमेश सिंह	पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बांदा द्वारा नगर पालिका में किये गये करोड़ों रुपये के घोटाले की जाँच के सम्बन्ध में।
5	श्री हरिओम वर्मा	विधान सभा क्षेत्र अमाँपुर, जनपद कासगंज के अन्तर्गत मैमड़ा से नगला मोड़ तक मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
6	श्री भगवान सिंह कुशवाहा	जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लादूखेड़ा में उप अनाज मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
7	श्री राम सिंह पटेल	विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम जोगीपुर, वि0ख0 बाबा बेलखरनाथ धाम में विद्युत पावर हाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री हाकिम लाल बिन्द	जिला प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के ग्राम सभा कांगापुर से होलापुर सम्पर्क मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री प्रदीप कुमार चौधरी	जनपद बुलन्दशहर की जिला पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री प्रसन्न कुमार	जनपद शामली की ग्राम पंचायत गंगेरू के मजरा गढ़ीदीलत को राजस्व ग्राम घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।
11	श्री विनोद शंकर अवस्थी	विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत ब्लाक ईसानगर के ग्राम सभा क्षेत्र रसूलपुर में रामपाल के घर से रामलखन के घर तक खड़न्जा निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
12	श्री अजय	पंचायती राज निदेशायल में आउटसोर्सिंग का कार्य करने वाली मेसर्स राजदीप इंटरप्राइजेज अहमदाबाद द्वारा भर्ती के नाम पर प्रति व्यक्ति अवैध रूप से रुपये वसूलने के प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
13	श्री पल्टूराम	श्री जिक्रउल्लाह खान पुत्र अब्दुल हसन खान द्वारा ग्राम गुमड़ी, थाना श्रीदत्तगंज, तहसील उतरौला, जनपद बलरामपुर में अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठा (जे0के0 ईंट उद्योग) को बन्द किये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री गणेश चन्द्र	विधान सभा क्षेत्र धनघटा के ग्राम पंचायत शुबखरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
15	श्री विपुल दुबे	जनपद भदोही की विधान सभा क्षेत्र ज्ञानपुर में कतिपय घाटों पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में।
16	श्री त्रिभुवन दत्त	विधान सभा क्षेत्र आलापुर के वि0ख0 रामनगर में कतिपय मार्ग की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।
17	श्री राजेन्द्र कुमार	विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के ब्लॉक रानीपुर के ग्राम सभा काझा के अन्तर्गत कतिपय सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
18	श्री शाहिद मंजूर	सुन्नी सेण्ट्रल वक्फ बोर्ड के वक्फ संख्या-74 से 94 आगरा में प्रस्तुत जाँच रिपोर्ट में कार्यवाही के सम्बन्ध में।
19	श्री समरपाल सिंह	जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवा सादात को ब्लॉक बनाये जाने के सम्बन्ध में।
20	श्री संजय शर्मा	विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के वि0ख0 लखावटी में बुलन्दशहर-औरंगाबाद मार्ग से लोहरका गाँव तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
21	श्रीमती सरिता भदौरिया	जनपद इटावा में स्थित डॉ0 भीमराव अम्बेडकर जिला चिकित्सायल में नवजात बच्चों हेतु 12 बेड की निको वार्ड (एनआईसीयू) बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
22	श्री श्रीकान्त कटियार	विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ की ग्राम पंचायत फरीदपुर कट्टर के मजरा मल्लहनपुरवा को जाने वाली डामर रोड पर पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
23	श्री अनिल कुमार मौर्य	जनपद लखनऊ के मजरा मड़वारा, ग्राम चकई मलिहाबाद (थाना-माल) में दबंगों द्वारा भूमि का कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में।
24	श्री लक्ष्मीराज सिंह	विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के नगर पंचायत ककोड़ में कच्चे नाले की पटरी पर रास्ते का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
25	श्री तुफानी सरोज	औद्योगिक क्षेत्र वाराणसी के करखियांव में नाले के बन्द होने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
26	श्री मो0 फरीद महफूज किदवई	जनपद बाराबंकी के नगर पंचायत बेलहरा के अध्यक्ष द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
27	श्री अनिल सिंह	विधान सभा क्षेत्र पुरवा के वि0ख0 हिलौली को नगर पंचायत में गठित किये जाने की कार्यवाही लम्बित होने के कारण का निवारण कराये जाने के सम्बन्ध में।
28	श्री रमेश जायसवाल	विधान सभा क्षेत्र मुगलसराय, ब्लॉक सदर, ग्राम सभा परनपुर में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, शौचालय व आंगनबाड़ी केन्द्र पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
29	श्रीमती पूनम संखवार	विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के कतिपय विकास खण्डों में सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
30	श्री बावन सिंह	जनपद गोण्डा के तहसील करनैलगंज अन्तर्गत ग्राम तिलका शिवलालपुरवा में तालाब खुदाई के कार्य तत्काल रुकवाने तथा पैमाइश के उपरान्त न्यायोचित कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री जय कुमार सिंह जैकी	विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के वि0ख0 मलवाँ के ग्राम पंचायत मलहरा में मिनी स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
32	श्री अनिल प्रधान	जनपद चित्रकूट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में।
33	श्री अखिलेश	विधान सभा क्षेत्र मुबारकपुर में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
34	श्री सुरेन्द्र मैथानी	विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर के अन्तर्गत वार्ड-53 के दूषित भू-गर्भ जल क्षेत्र में वाटर लाइन डलवाने के सम्बन्ध में।
35	श्री हरि प्रकाश वर्मा	जन-सुनवाई पोर्टल पर आई0जी0आर0एस0 संख्या-18152250021844 का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराने के सम्बन्ध में।
36	श्री मो0 ताहिर खान	विधान सभा क्षेत्र इसौली में एक डिग्री कॉलेज खुलवाने के सम्बन्ध में।
37	श्री ज्ञानेन्द्र सिंह	विधान सभा क्षेत्र पनियरा, जनपद महराजगंज अन्तर्गत खुटहा, पनियरा, बेलटीकरा मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
38	श्री प्रदीप यादव	लखनऊ विकास प्राधिकरण एवं लखनऊ नगर निगम की मिली-भगत से स्थित मोहल्ला बाग मक्का राजा बाजार, लखनऊ के खसरा सं0-45 एवं 49 के अवैध कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में।
39	श्री किरत सिंह	विधान सभा क्षेत्र गंगोह, जनपद सहारनपुर अन्तर्गत गंगोह ब्लॉक के सिकन्दरपुर उर्फ गोसगढ़ गांव में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
40	डॉ0 अमित सिंह चौहान	जनपद अयोध्या की नवगठित नगर पंचायत खिरौनी सुचितागंज के नगर पंचायत अध्यक्ष व उनके परिवार के सदस्यों द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
41	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'	जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड संगीपुर के घुइसरनाथ धाम तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। (दिनांक 21-02-2025 को यही विषय स्वीकृत है।)

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
42	श्री मनोज कुमार पारस	विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर अन्तर्गत नजीबाबाद से कोतवाली मार्ग पर ग्राम कोतवाली देहात में मुनीम जी मैरिज हाल के पास शाहिद अन्सारी की दुकान तक जिला पंचायत द्वारा नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में।
43	डॉ0 राजेश्वर सिंह	बेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्त सहायक अध्यापिकाओं को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28-03-2005 के पूर्व नियुक्त सरकारी सेवा को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में।
44	श्री पंकज कुमार मलिक	उत्तर प्रदेश के 24 सहकारी चीनी मिल व 08 आसवनी इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के बकाया जनवरी, 2023 से जुलाई, 2024 तक महंगाई भत्ता दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
45	श्री स्वामी ओउ्मवेश	जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चाँदपुर में चाँदपुर-बास्टा-मानपुर-अहरौला मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में।
46	श्री जय प्रकाश अंचल	सोनवानी से समर्थपाह होकर दुधैला जाने वाली सड़क का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
47	श्री कमाल अख्तर	फर्जी तथा जाली दस्तावेज बना कर जिला मुरादाबाद के उमरी कलाँ स्थित पब्लिक इण्टर कॉलेज पर कब्जा करने के सम्बन्ध में।
48	श्री लकी यादव	उत्तर प्रदेश संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ में रिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति हेतु शासन स्तर पर चयनित समिति का गठन कराये जाने एवं निदेशक पद के लिए अर्ह उप निदेशकों की विभागीय वरिष्ठता सूची जारी किये जाने के सम्बन्ध में।
49	श्री कमलाकान्त राजभर	विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम असाढ़ा से देवापुर तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

क्र0-सं0	मा0 सदस्य का नाम	विषय
50	श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया	तिलहर-दातागंज हाई-वे पर मानपुर त्रिलोक गांव में रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
51	डॉ0 संग्राम यादव	जनपद आजमगढ़ के अतरौलिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मण्डलीय दुग्ध संघ के कर्मचारियों को 08 माह का वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा) ने अपने विभागीय भाषण के उपरान्त श्री राज्यपाल की सिफारिश से निम्नलिखित अनुदानों के लिए मांगों के प्रस्ताव प्रस्तुत किये :-

(1) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 22272,23,71,000 रुपये (बाइस हजार दो सौ बहत्तर करोड़ तेइस लाख इकहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(2) 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-09-ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 53363,09,18,000 रुपये (तिरपन हजार तीन सौ तिरसठ करोड़ नौ लाख अट्ठारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

इसके उपरान्त श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि मा0 मंत्री द्वारा नगर विकास व ऊर्जा विभाग की अनुदानों और मांगों पर विचार का प्रस्ताव जो आज रखा है उस पर कटौती का प्रस्ताव कल रखा जाएगा, जो मा0 सदस्य उस पर बोलना चाहते हैं कल बोल सकते हैं। कल ही मा0 नेता सदन व मा0 नेता विरोधी दल द्वारा सदन में वक्तव्य दिया जाएगा।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन रात्रि 08 बजकर 17 मिनट पर अगले दिन के पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

———————

स्वीकृत,
सतीश महाना,
अध्यक्ष,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 296 विधान सभा (484)–05–03–2025–50 प्रतियां (कम्प्यूटर)।